

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

दिनांक 04.07.2012 को आहूत पी. सी. सी. की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति

1. श्री दीपक कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक, बियाडा।
2. श्री ओ० पी० पाठक
उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग।
3. श्री एस. पी. राय,
प्रतिनिधि, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. श्री मृत्युंजय कुमार,
प्रतिनिधि वित्त विभाग।
5. श्री के. पी. एस. केसरी
अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोशिएसन।
6. सुभोजित पोद्दार
स्टेट हेड, सी. आई. आई., पटना।
5. श्री ओ. पी. साह (विशेष आमंत्रित सदस्य)
अध्यक्ष, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स।
6. श्री भोगेन्द्र लाल
कार्यकारी निदेशक, पटना/भागलपुर।
7. श्री अखिलानंद
कार्यकारी निदेशक, बियाडा दरभंगा/मुजफ्फरपुर।

कार्यवाही।

औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद

1. सर्वश्री अटलांटिस हॉस्पिटल, औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। इकाई के प्रतिनिधि लगातार दो बैठक में अनुपस्थित रहें हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे भू – आवंटन एवं प्रतिष्ठान स्थापित करने में कोई अभिरूचि नहीं रखते हैं। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
2. सर्वश्री मगध फ्लोर मिल, औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। इकाई के प्रतिनिधि लगातार दो बैठक में अनुपस्थित रहें हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे भू – आवंटन तथा उद्योग लगाने में कोई अभिरूचि नहीं रखते हैं। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
3. सर्वश्री पवनसुत कोल्ड स्टोरेज, द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु रकवा 87120 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।
प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद में प्लॉट संख्या A – 1, A – 2, A – 3, A – 4 & A – 5 रकवा 35000 वर्गफीट भूमि का आवंटन किया गया।

4. **सर्वश्री किसान टायर रिसोल** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद में Tyre Resoling कार्य हेतु एक सी. टाईप छावनी रकवा 2825 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद में अभी कोई भी C – type की छावनी उपलब्ध नहीं है, जबकि बी. टाईप की छावनी उपलब्ध है, जिसका रकवा 4800 वर्गफीट है। समिति द्वारा इकाई के परियोजना पर गहन चर्चा की गई एवं परियोजना उपर्युक्त पाया। वर्तमान में कोई C – Type की छावनी उपलब्ध नहीं रहने पर इकाई के प्रतिनिधि से B type की छावनी के आवंटन पर सहमति मांगी गई, जिसपर उनके द्वारा सहमति दी गई। अतः इकाई को छावनी संख्या B – 2 रकवा 4800 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

5. **सर्वश्री सुबोध इंटरप्राइजेज** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद में ह्यूम पाईप उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 21780 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद में ह्यूम पाईप उद्योग की स्थापना हेतु Plot No- B – 1 & B – 2 रकवा 9600 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही इकाई द्वारा यह कहा गया कि वे अपनी परियोजना की स्थापना 3 माह के अंदर कर लेंगे। इस आशय का एक Undertaking देने हेतु इकाई को निदेश दिया गया।

6. **सर्वश्री माँ मुण्डेश्वरी साईकिल उद्योग प्राईवेट लिमिटेड** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद में साईकिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 65340 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद में साईकिल उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या E – 11, 12, 13, F – 13, F – 14 & M 1 (P) रकवा 36597 एवं Laboratory Block रकवा 5000 कुल 41597 वर्गफीट आवंटन करने का निर्णय लिया गया। इकाई द्वारा आश्वासन दिया गया कि वे छः माह के अंदर इकाई को स्थापित कर लेंगे।

7. **सर्वश्री जे. के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड**, औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। इकाई द्वारा कुल 500940 वर्गफीट भूमि की मांग की गई। औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद में मांग के अनुसार भूमि उपलब्ध नहीं है। इस इकाई को किशनगंज में एक इकाई के लिए पूर्व में 37 एकड़ भूमि आवंटन किया जा चुका है। अतः आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

विकास केन्द्र, औरंगाबाद

8. **सर्वश्री सतविचार सप्लायर प्राईवेट लिमिटेड**, विकास केन्द्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। इकाई के प्रतिनिधि लगातार दो बैठक में अनुपस्थित रहें हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे भू – आवंटन एवं उद्योग स्थापना में कोई अभिरुचि नहीं रखते हैं। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

9. **सर्वश्री सोनभद्रा ऑटोमोबाईल वर्क शॉप**, विकास केन्द्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। इकाई के प्रतिनिधि लगातार दो बैठक में अनुपस्थित रहें हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे भू – आवंटन एवं उद्योग स्थापना में कोई अभिरुचि नहीं रखते हैं। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

10. **सर्वश्री गणेश मेटल** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Domestic Aluminium Utensil उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 20000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक् विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि सर्वश्री गणेश मेटल उद्योग को पूर्व में भी विकास केन्द्र, औरंगाबाद में दो बार क्रमशः 10000 वर्गफीट एवं 5000 वर्गफीट भूमि का आवंटन किया गया था। परन्तु उनके द्वारा प्रारंभिक किश्त का भुगतान नहीं करने के कारण दोनों आवंटन को रद्द कर दिया गया है। इसपर इकाई के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उन्हें पूर्व में दोनों आवंटन मांग से कम आवंटन किया गया है जो उनके परियोजना के लिए उपयुक्त नहीं थी। अतः उन्हें 20000 वर्गफीट भूमि आवंटित किया जाए। इस समिति द्वारा उनकी परियोजना पर समीक्षा की गई। समिति द्वारा गया कि में Domestic Aluminium Utensil परियोजना के लिए 9500 भूमि उपर्युक्त है। अतः उन्हें एक अंतिम मौका देते हुए प्लॉट संख्या B - 16 & B - 17 (P) से रकवा 9500 वर्गफीट भूमि का आवंटन किया गया। साथ ही उन्हें निदेश दिया गया कि 6 माह के अंदर उद्योग स्थापित कर लें अन्यथा भू – आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।

11. **सर्वश्री संभावना राईस मिल** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में राईस मिल की स्थापना हेतु रकवा 21780 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक् विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इकाई को पूर्व से प्लॉट संख्या A - 16 & A - 10 से रकवा 5000 वर्गफीट भूमि का आवंटन किया गया था। परन्तु उक्त भूखण्ड किसी अन्य को आवंटित रहने के कारण उन्हें भूमि का भौतिक स्वामित्व नहीं दिया गया है। अतः उन्हें कोई अन्य भूमि आवंटित किया जाए। समिति द्वारा उनके उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए प्लॉट संख्या A - 11 रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस तरह के मामले जिनमें पी. सी. सी. द्वारा भू – आवंटन के बाद कवल प्लॉट परिवर्तन करना हो को प्रबंध निदेशक के स्तर से ही निष्पादित कर लिया जाए इसे पी. सी. सी. में लाने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें घटनोत्तर केवल पी. सी. सी. के सूचनार्थ रखा जाय।

12. **सर्वश्री भास्कर फ्लोर मिल** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में आटा उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 21780 वर्गफीट भूमि आवंटित करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि उद्यमी को परियोजना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उनके द्वारा समिति द्वारा किये गये सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया कि आवेदक उद्योग स्थापित

करने में सक्षम नहीं है। अतः समिति द्वारा सर्वश्री भास्कर फ्लोर मिल के आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

13. **सर्वश्री माँ विन्ध्यवासनी बी. एड. कॉलेज**, विकास केन्द्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। इकाई के प्रतिनिधि लगातार दो बैठक में अनुपस्थित रहें हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे भू – आवंटन में कोई अभिरुचि नहीं रखते हैं। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
14. **सर्वश्री सुपर अल्यूमिनियम वर्क्स**, विकास केन्द्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। इनके आवेदन को अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
15. **सर्वश्री शेखर ट्रोमा सेंटर एण्ड हॉस्पिटल**, विकास केन्द्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखा जाए।
16. **सर्वश्री विन्ध्यावासनी इंडस्ट्रीज**, विकास केन्द्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। इकाई के प्रतिनिधि लगातार दो बैठक में अनुपस्थित रहें हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे भू – आवंटन में कोई अभिरुचि नहीं रखते हैं। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
17. **सर्वश्री रविन्द्र इंस्टीच्यूट ऑफ मेकेनिकल इंजिनियरींग**, विकास केन्द्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। इकाई के प्रतिनिधि लगातार दो बैठक में अनुपस्थित रहें हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे भू – आवंटन में कोई अभिरुचि नहीं रखते हैं। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
18. **सर्वश्री के० के० राईस मिल** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में राईस मिल की स्थापना हेतु रकवा 65340 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।
प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। इकाई को वर्ष 1996 से ही सर्वश्री रश्मि ग्लास के नाम से प्लॉट संख्या NS – 6 RG 1(B) रकवा 21780 वर्गफीट भूमि आवंटित है। परन्तु इकाई द्वारा अभी उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में इन्हें दुसरे नाम से भूमि का आवंटन किया जाना उचित नहीं है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इकाई को उनके पूर्व से आवंटित भूमि के बगल में सर्वश्री रश्मि ग्लास के नाम से ही प्लॉट संख्या RG 1(P) रकवा 8500 वर्गफीट भूमि का अतिरिक्त आवंटन किया जाए। इकाई 15 दिनों के अंदर अपनी परियोजना में राईस मिल के समावेश हेतु आवेदन देंगे। इकाई को तीन माह के अंदर उत्पादन कार्य प्रारंभ करना होगा। अन्यथा आवंटित पूरी भूमि को रद्द कर दिया जायेगा। इकाई को SIPB का अनुमोदन प्राप्त नहीं है। अतः आवंटन पत्र SIPB के अनुमोदन के उपरान्त ही निर्गत किया जायेगा।
19. **सर्वश्री मदर टेरेसा बी. एड. कॉलेज**, विकास केन्द्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। इकाई के प्रतिनिधि लगातार दो बैठक में अनुपस्थित रहें हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे भू – आवंटन में कोई अभिरुचि नहीं रखते हैं। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
20. **सर्वश्री चंदन इंजिनियरींग वर्क्स**, विकास केन्द्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। इकाई के प्रतिनिधि लगातार दो बैठक में अनुपस्थित रहें हैं। इससे स्पष्ट होता है

कि वे भू – आवंटन में कोई अभिरुचि नहीं रखते हैं। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

21. **सर्वश्री माँ मुण्डेश्वरी एग्री मिल्स प्राइवेट लिमिटेड** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में सत्तु एवं बेसन उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 21760 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इकाई को पूर्व से फ्लोर मिल एवं राईस मिल हेतु कुल 3.28 एकड़ भूमि आवंटित है, जो पर्याप्त है। इकाई को सत्तु एवं बेसन का कार्य के लिए अलग से कोई भूमि आवंटित नहीं की जायेगी। इकाई पूर्व से आवंटित भूखण्ड में सत्तु बेसन परियोजना का समावेश करा लें। उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा नये भूखण्ड के आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

22. **सर्वश्री एस. डी. हॉस्पिटल**, विकास केन्द्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। इकाई के प्रतिनिधि लगातार दो बैठक में अनुपस्थित रहें हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे भू – आवंटन में कोई अभिरुचि नहीं रखते हैं। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

23. **सर्वश्री प्रसिद्ध कोल्ड स्टोरेज** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु रकवा 65340 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि विकास केन्द्र, औरंगाबाद में पूर्व से दो कोल्ड स्टोरेज को भूमि आवंटित है। उद्यमी भी अपनी परियोजना के बारे में प्रारंभिक जानकारी नहीं दे पाये। ये परियोजना चलाने के बारे में अपनी सक्षमता साबित नहीं कर पाये। ऐसी परिस्थिति में विकास केन्द्र, औरंगाबाद में इन्हें एक अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज हेतु भूमि का आवंटन करना उचित नहीं है। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

24. **सर्वश्री त्रिदेव कम्प्यूटर रिपयेरिंग एण्ड सर्विस सेंटर** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद कम्प्यूटर रेपेयरींग एवं सर्विस हेतु रकवा 15000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इकाई द्वारा समर्पित परियोजना में आवंटन हेतु 15000 हजार वर्गफीट भूमि दिखाया गया है, परन्तु ले आउट प्लान में 1.5 एकड़ भूमि अंकित है। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इकाई में ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट/सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी कार्य किया जायेगा। परन्तु समर्पित परियोजना में मात्र Computer Repairing & service का ही उल्लेख किया गया है। आवेदक द्वारा कहा गया कि ले आउट प्लान में भूलवश 1.5 एकड़ अंकित हो गया है जबकि 15000 वर्गफीट ही भूमि उनके द्वारा मांगी गई है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया सर्वश्री त्रिदेव कम्प्यूटर रिपयेरिंग सर्विस सेंटर को प्लॉट संख्या A – 17, NS - 7 रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाए साथ ही इकाई को निदेश दिया गया कि Revised Project Report 15 दिनों के अंदर समर्पित किया

जाए एवं भूमि आवंटन के 3 माह के भीतर कार्य प्रारंभ किया जाए अन्यथा आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

25. **सर्वश्री मर्सी इंस्टीच्यूट, विकास केन्द्र, औरंगाबाद** – अनुपस्थित। इनके आवेदन को अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

26. **सर्वश्री शक्ति इंटरप्राइजेज** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Agriculture Equipment & Implement उद्योग की स्थापना रकवा 43560 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त सर्वश्री शक्ति इंटरप्राइजेज को विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Agriculture Equipment & Implement की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या A – 4 & A – 5 रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

27. **सर्वश्री डी. आर. डी. ओ इंजिनियरींग कॉलेज** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Engineering College की स्थापना हेतु रकवा 10 एकड़ भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि पूर्व से विकास केन्द्र औरंगाबाद में एक इंजिनियरींग कॉलेज को भूमि आवंटित है। ऐसी परिस्थिति में औद्योगिक क्षेत्र में एक से अधिक इंजिनियरींग कॉलेज को भूमि का आवंटन करना उचित नहीं समझा गया। अतः समिति द्वारा आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

28. **सर्वश्री श्री साहवतराज एग्रो लिमिटेड** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में आटा उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 65340 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को विकास केन्द्र, औरंगाबाद में प्लॉट संख्या S – 2 रकवा 15000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

29. **सर्वश्री एस. आर. एस. मल्टी स्पेशालीटी हॉस्टपीटल** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Multi Speciality Hospital की स्थापना हेतु रकवा 174240 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इकाई को SIPB (राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद) का अनुमोदन प्राप्त नहीं है। अतः इकाई को औपबंधीक (Provisional) रूप से Multi Speciality Hospital की स्थापना हेतु विकास केन्द्र, औरंगाबाद में प्लॉट संख्या E – 1 & E – 2 रकवा 80000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। आवंटन पत्र SIPB से अनुमोदन के उपरान्त ही निर्गत किया जायेगा।

30. **सर्वश्री साई ऑटोमोबाईल** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Servicing & Building of Vehicle की स्थापना हेतु रकवा 18000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इकाई द्वारा समर्पित परियोजना प्रतिवेदन सही नहीं है। अतः उन्हें Revised Project Report समर्पित करने का निदेश दिया गया। अगामी बैठक Revised Project Report समर्पित करने के उपरान्त आवेदन को रखने का निर्णय लिया गया।

31. **सर्वश्री सत्यचंडी दाल मिल**, विकास केन्द्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। इनके आवेदन को अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

32. **सर्वश्री आर्यन एग्रो इंडस्ट्रीज** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु रकवा 130680 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि पूर्व से दो कोल्ड स्टोरेज को भूमि आवंटित है। ऐसी परिस्थिति में अन्य कोल्ड स्टोर को विकास केन्द्र, औरंगाबाद में आवंटित करना उपयुक्त नहीं है, एवं आवेदक द्वारा मांगी गई भूमि एक साथ उपलब्ध नहीं है। अतः समिति द्वारा आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

33. **सर्वश्री राधे कृष्ण विहकल रिपेयरींग एण्ड सर्विसिंग सेंटर** द्वारा विकास केन्द्र औरंगाबाद में Vehicle Repairng & servicing Centre की स्थापना हेतु रकवा 65340 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। इनकी भूमि की मांग अत्याधिक है। किसी कम्पनी द्वारा प्राधिकृत भी नहीं है। पूर्व से ही विकास केन्द्र, औरंगाबाद में कई Servicing & Repairing Centre को भूमि आवंटित है। यदि पूर्व आवंटित का भूमि रद्द होता है तो इनके आवेदन पर विचार किया जा सकता है। समीक्षोपरान्त आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

34. **सर्वश्री विभूति इलेक्ट्रो प्रोडक्ट** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में CFL Bulb, Inverter Manufacturing की उद्योग स्थापना हेतु रकवा 20000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को विकास केन्द्र, औरंगाबाद में CFL Bulb, Inverter Manufacturing की उद्योग स्थापना हेतु प्लॉट संख्या A – 6 रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

35. **सर्वश्री आयूश राईस मिल** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Arwa Rice & Usna Rice Mill की स्थापना हेतु रकवा 65340 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त विकास केन्द्र, औरंगाबाद में इकाई को प्लॉट संख्या

B -2, 3, B - 4, 5 & 6 रकवा 37500 वर्गफीट भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। चूँकि इकाई को SIPB (राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्सद) अनुमोदन प्राप्त नहीं है। अतः तत्काल औपबंधीक (Provisional) रूप से भूमि का आवंटन किया जायेगा। SIPB के अनुमोदन के उपरान्त ही आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा।

36. **सर्वश्री सर्वश्वरी मिनरल वाटर इंडस्ट्रीज** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Packed Drinking Water उद्योग की स्थापना रकवा 15000 भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया इस तरह के इकाई द्वारा बड़ी मात्रा में waste water बहाया जाता है जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में जल निकासी समस्या उत्पन्न होती है। साथ इस तरह की परियोजना वर्तमान समय में Viable नहीं है। अतः समिति द्वारा सम्यक् रूप से समीक्षोपरान्त आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

37. **सर्वश्री जय मातादी इंटरप्राइजेज** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में PVC Granules Manufacturing from used and soft plastic उद्योग की स्थापना हेतु 15000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इकाई को अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं है। अतः इन्हें विकास केन्द्र की जगह औद्योगिक क्षेत्र में छावनी संख्या B - 3 आवंटित कर दी जाए। इस पर इकाई से सहमति मांगी गई जिसपर इकाई द्वारा अपनी सहमति दी गई। सर्वसम्मति से इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद में छावनी संख्या B-3 रकवा 4800 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

38. **सर्वश्री कृष्णा फ्लोर मिल** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद में आटा उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 43560 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को विकास केन्द्र, औरंगाबाद में इकाई को आटा उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या A – 7 & A – 8 रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

39. **सर्वश्री मॉ मंगला इंटरप्राइजेज** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Ice Factory की स्थापना हेतु रकवा 43560 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि यह परियोजना Viable नहीं है। अतः समिति द्वारा सम्यक रूप से आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

40. **सर्वश्री शेखर ट्रॉमा सेंटर**, विकास केन्द्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। इनके आवेदन को अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

41. **सर्वश्री यूनिसन लूब्रिकेन्ट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Lubricant Oil उद्योग की स्थापना रकवा 10000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि विकास केन्द्र, औरंगाबाद के कई इकाई द्वारा सर्वश्री यूनिसन लूब्रिकेन्ट के विरुद्ध प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड में कई शिकायत की गई। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इकाई को तत्काल औपबंधिक (Provosional) रूप से प्लॉट संख्या A – 30 रकवा 3000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। इकाई को 15 दिनों के अंदर प्रदुषण बोर्ड से NOC लेना होगा उसके उपरान्त ही इकाई को आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा।

42. **सर्वश्री महिला बी. एड. महाविद्यालय** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में महिला B.ed. College की स्थापना हेतु रकवा 87120 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। इकाई द्वारा बताया गया कि उनकी एक इकाई औरंगाबाद में विकास केन्द्र के बाहर महिला बी. एड. महाविद्यालय के नाम से पूर्व से स्थापित है। उनके द्वारा भूमि आवंटन के उपरान्त उसी इकाई को विकास केन्द्र में स्थानांतरित किया जायेगा। समिति इकाई को प्लॉट संख्या S – 7 (P) रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही भी निर्णय लिया गया कि इकाई को पूर्व से स्थापित महिला महाविद्यालय के नाम से आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा।

43. **सर्वश्री नाईस टेक सॉल्यूशन** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Wave shine Inverter उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इकाई को उद्योग की स्थापना हेतु अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद में एक B type की छावनी आवंटन करने पर इकाई से सहमति मांगी गई। इकाई के सहमति के उपरान्त औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद में छावनी B – 6 रकवा 4800 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

44. **सर्वश्री पशुपति फ्लोर मिल** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Flour Mill की स्थापना हेतु रकवा 43560 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि विकास केन्द्र, औरंगाबाद में पूर्व से ही फ्लोर मिल के लिए कई इकाई आवंटित है। अतः अधिक फ्लोर मिल को भूमि का आवंटन करना उचित नहीं है क्योंकि इनकी Viability नहीं रह जायेगी। समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचारोपरान्त आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

45. **सर्वश्री होटल पुष्कर** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में 3 Star होटल की स्थापना हेतु रकवा 15000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षापरान्त पाया गया कि औद्योगिक विकास केन्द्र, औरंगाबाद में पूर्व से ही Toursim Development Corporation की बड़ी इकाई स्थापित है। इकाई द्वारा मात्र 15000 वर्गफीट भूमि में 3 Star होटल की स्थापना की बात कही गयी है। जो Viable नहीं है। अतः इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

46. **सर्वश्री इम्पीरीयल एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में राईस मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 87120 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षापरान्त पाया गया कि विकास केन्द्र, औरंगाबाद में पूर्व से ही कई राईस मिल को भूमि आवंटित है। ऐसी परिस्थिति में और राईस मिल को भूमि आवंटित करना उपर्युक्त नहीं है। समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचारपरान्त आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

47. **सर्वश्री पंकज इंटरप्राइजेज** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में ह्यूम पाईप उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 20000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटित करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षापरान्त पाया गया कि इकाई को पूर्व से जो भूमि आवंटित है वह उपर्युक्त है इन्हें और अधिक भूमि आवंटन करने की आवश्यकता नहीं है। समिति द्वारा सम्यक् रूप से इकाई के आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

48. **सर्वश्री जे. के. इंडस्ट्रीज**, विकास केन्द्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। इनके आवेदन को अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

49. **सर्वश्री विजय इंटरप्राइजेज**, विकास केन्द्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। इनके आवेदन को अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

50. **सर्वश्री कैलाश भोग फ्लोर मिल** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में फ्लोर उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 21780 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षापरान्त पाया गया कि विकास केन्द्र, औरंगाबाद में पूर्व से ही फ्लोर मिल के लिए कई इकाई आवंटित है। अतः अधिक फ्लोर मिल को भूमि का आवंटन करना उचित नहीं है। समिति द्वारा सम्यक् रूप से आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

51. **सर्वश्री आर्य आर. सी. सी. पाईप इंडस्ट्रीज** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में R.C.C Pipe उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 10000 अतिरिक्त भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षापरान्त पाया गया कि पूर्व से आवंटित भूमि इनके लिए

आवश्यकता के अनुरूप है। फिर भी उनके अनुरोध पर अतः आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया ताकि वर्तमान के आवंटित भूमि में उद्योग को देखते हुए अतिरिक्त आवश्यकता पर निर्णय लिया जा सके।

52. **सर्वश्री मगध इंस्टीच्यूट ऑफ हाईयर एडुकेशन** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में बी. एड कॉलेज की स्थापना हेतु रकवा 43000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि पूर्व से विकास केन्द्र औरंगाबाद में इंजिनियरींग कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान को भूमि आवंटित है एवं वर्तमान में शिक्षण संस्थान हेतु भूमि रिक्त नहीं है। अतः समिति द्वारा आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

53. **सर्वश्री शुभम इंटरप्राइजेज** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में PVC Granules उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 43560 वर्गफीट भूमि आवंटित करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। परियोजना Viable नहीं पाई गई। विचारोपरान्त इनके आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

54. **सर्वश्री श्रीगु राईस मिल** द्वारा विकास केन्द्र औरंगाबाद में राईस मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 21900 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक् विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि विकास केन्द्र, औरंगाबाद में पूर्व से ही राईस मिल के लिए कई इकाई आवंटित है। अतः अधिक राईस मिल को भूमि का आवंटन करना उचित नहीं है। समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचारोपरान्त आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

55. **सर्वश्री भगवान विष्णु फ्लोर मिल** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Flour Mill की स्थापना हेतु रकवा 43560 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि विकास केन्द्र, औरंगाबाद में पूर्व से ही फ्लोर मिल के लिए कई इकाई आवंटित है। अतः अधिक फ्लोर मिल को भूमि का आवंटन करना उचित नहीं है। समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचारोपरान्त आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

56. **सर्वश्री मगध पोलीटेकनीक** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Polytechnic की स्थापना हेतु रकवा 217800 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक् विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि पूर्व से विकास केन्द्र औरंगाबाद में इंजिनियरींग कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान को भूमि आवंटित है एवं वर्तमान में शिक्षण संस्थान हेतु भूमि रिक्त नहीं है। अतः समिति द्वारा आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

57. **सर्वश्री कनोडिया इंक्रीटेक लिमिटेड** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Clinker Grinding Unit (Cement) उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 435600 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक् विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। इकाई के प्रतिनिधि से पूछताछ की गयी। इकाई के प्रतिनिधि जवाब नहीं दे पाये। समिति द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि प्रतिनिधि को जानकारी का अभाव है। अतः इसके आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

58. **सर्वश्री माँ मुण्डेश्वरी ऑटोमोबाईल्स** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Tractor serviceing & Repairing Centre की स्थापना हेतु रकवा 43560 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक् विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इस तरह के इकाईयों से औद्योगिक क्षेत्रों के सड़को को जाम रहने की संभावना रहती है। अतः इस प्रकार के इकाईयों को औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन नहीं किया जाए। समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचारोपरान्त आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

59. **सर्वश्री भवानी इंटरप्राईजेज** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में दाल मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक् विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को विकास केन्द्र, औरंगाबाद में दाल मिल उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या NS – 4B रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

60. **सर्वश्री सैट्रन बायोसाइन्स प्राईवेट लिमिटेड**, विकास केन्द्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

61. **सर्वश्री कुमार सिड प्रोसेसिंग सेंटर** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Seeds Processing उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इकाई द्वारा मात्र बीज खरीद कर पैकिंग का कार्य किया जायेगा। इस कार्य हेतु औद्योगिक क्षेत्र की भूमि का आवंटन करना उचित नहीं है। समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचारोपरान्त इकाई के आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

62. **सर्वश्री एच. के. सिंह एण्ड कम्पनी** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में राईस मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 87120 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि विकास केन्द्र, औरंगाबाद में पूर्व से ही राईस मिल के लिए कई इकाई आवंटित है। अतः अधिक राईस मिल को भूमि का आवंटन करना उचित नहीं है। समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचारोपरान्त आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

63. **सर्वश्री महाकालेश्वर हार्डवेयर इंडस्ट्रीज**, द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Wire Nail & Hardware Manufacture उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 9200 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक् विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। इकाई के प्रतिनिधि से पूछताछ की गयी। इकाई के प्रतिनिधि जवाब नहीं दे पाये। समिति द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि प्रतिनिधि को जानकारी का अभाव है। अतः इसके आवेदन को सम्यक रूप से विचारोपरान्त अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

64. **सर्वश्री मगध डेयरी प्रोजेक्ट** गया जो कि कॉम्पेड की इकाई है, के द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में कैटल फीड उद्योग की स्थापना हेतु 653400 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त सर्वश्री मगध डेयरी प्रोजेक्ट, गया को विकास केन्द्र, औरंगाबाद में कैटल फीड उद्योग की स्थापना हेतु भूखण्ड संख्या N.S 13 एवं A - 36 to A - 56 रकवा 8 एकड़ (348480 वर्गफीट) भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

65. **सर्वश्री जे0 एम0 के0 के0 इंटरप्राइजेज** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में फ्लोर मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 43560 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि विकास केन्द्र, औरंगाबाद में पूर्व से ही फ्लोर मिल के लिए कई इकाई आवंटित है। अतः अधिक फ्लोर मिल को भूमि का आवंटन करना उचित नहीं है। समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचारोपरान्त आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

66. **सर्वश्री कल्याणपुर बिल्डिंग मटेरियल** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Autoclaved Acraed Concrete उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 435600 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। यह एक नये किस्म का उद्योग है जो Environmental Friendly भी है। समीक्षोपरान्त इकाई को विकास केन्द्र, औरंगाबाद में Autoclaved Acraed concrete उद्योग की स्थापना हेतु भूखण्ड संख्या K - 1, K - 2, K - 3, K - 5 & L - 1 रकवा 10.68 एकड़ भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। इकाई को पहले SIPB (राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड) से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अनुमोदन के उपरान्त ही इकाई को आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा।

67. **सर्वश्री श्री सीमेंट लिमिटेड** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में सीमेंट उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 3 एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। सर्वश्री श्री सीमेंट लिमिटेड को पूर्व से 63 एकड़ भूमि आवंटित है। इकाई के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि उन्हें यह अतिरिक्त भूमि कैपटिव पावर प्लान्ट हेतु बायोमास के स्टोरेज के लिए चाहिए। समिति निर्णय लिया गया कि इकाई को जो भूमि पूर्व से आवंटित है वह लगभग पर्याप्त है। अतः और अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। परन्तु श्री सीमेंट के बगल में प्लॉट संख्या NS - 28 (P) रकवा 18643 वर्गफीट जो रिक्त है एवं जो इन्हें पूर्व से आवंटित जमीन के बीचोबीच है, उसका आवंटन इकाई को कर दिया गया।

68. **सर्वश्री अदानी विलमर लिमिटेड**, विकास केन्द्र, औरंगाबाद – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी0 सी0 सी0 की बैठक में रखा जाए।
69. **सर्वश्री यूनिक फुड इंडस्ट्रीज** द्वारा विकास केन्द्र, औरंगाबाद में राईस मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 20000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त सर्वश्री यूनिक फुड इंडस्ट्रीज को विकास केन्द्र, औरंगाबाद में रकवा 20000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

औद्योगिक क्षेत्र, डेहरी – ऑन – सोन

70. **सर्वश्री सीमा पैकेजिंग**, औद्योगिक क्षेत्र, डेहरी ऑन सोन – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी0 सी0 सी0 की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
71. **सर्वश्री कामाख्या मोर्डन मिनी राईस मिल** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, डेहरी ऑन सोन में राईस मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 16500 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।
72. **सर्वश्री श्री श्यामजी मोर्डन मिनी राईस मिल**, औद्योगिक क्षेत्र, डेहरी ऑन – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी0 सी0 सी0 की बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
73. **सर्वश्री माँ भगवती राईस मिल** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, डेहरी ऑन सोन में राईस मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 3000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।
74. **सर्वश्री माँ वैश्यों मोर्डन मिनी राईस मिल** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, डेहरी ऑन सोन में राईस मिल की स्थापना हेतु रकवा 15000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

उपरोक्त कंडिका 71, 73 एवं 74 तक में इकाई द्वारा जो भूमि की मांग की जा रही है, के संबंध में समिति द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, डेहरी ऑन सोन में भूमि की उपलब्धता का आकलन किया गया। आकलन के क्रम में पाया गया कि वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र, डेहरी में भूमि का सीमांकन स्पष्ट नहीं है। अतः सीमांकन स्पष्ट होने के उपरान्त उन इकाईयों को भूमि के आवंटन पर विचार किया जायेगा। तब तक इन तीन आवेदन को लंबित रखा जाए।

75. **सर्वश्री शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, डेहरी ऑन सोन में मिल्क प्रोसेसिंग एवं कैटल फीड उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 35 एकड़ भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना द्वारा समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि सर्वश्री शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, डेहरी में पूर्व से 10 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसका आवंटन उनके द्वारा बियाडा के तरफ से नहीं कराया गया है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इकाई द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य की भूमि सहित कुल लगभग 20 एकड़ भूमि का आवंटन

किया गया एवं तदनुसार राशि जमा कराई जाए। भूखण्ड के नापी में उपयुक्तता के दृष्टिकोण से अगर इससे ज्यादा भूमि आवंटित करना उपर्युक्त समझा जाये तो अधिकतम 2 एकड़ तक प्रबंध निदेशक द्वारा आवंटित कर इसकी घटनोत्तर स्वीकृति अगामी पी. सी. सी. के क्रम में ले ली जाए।

औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया

76. **सर्वश्री किसान फुड प्रोडक्ट** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में Salted snacks उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 5350 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में इकाई के मांग के अनुसार कोई प्लॉट खाली नहीं है। अतः समिति द्वारा सम्यक् रूप से इकाई को में Salted Snacks उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या A – 6 (P) रकवा 5500 अतिरिक्त वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। इकाई द्वारा उक्त भूखण्ड के आवंटन पर सहमति दी गई।

77. **सर्वश्री साहेब फुड प्रोडक्ट्स** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में राईस मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। इकाई के प्रतिनिधि के द्वारा परियोजना के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। समिति द्वारा पाया गया कि इकाई को परियोजना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अतः सम्यक् रूप से विचारोपरान्त आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

78. **सर्वश्री के० टी० फुड प्रोडक्ट्स** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में Noodles उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

79. **सर्वश्री प्रजापति इंडस्ट्रीज** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में Detergent Powder & cake उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

80. **सर्वश्री कुशावाहा एग्रीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में Agriculture Implement उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 87120 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

उपरोक्त कंडिका 78 से 80 तक इकाईयों के परियोजना पर समिति द्वारा गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में पूर्व से उक्त कंडिका से संबंधित परियोजना के कई इकाईयों को भूमि का आवंटन किया गया है। परन्तु अभी तक उन इकाईयों के द्वारा उद्योग स्थापना की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया की बड़ी मात्रा में भूमि बेकार पड़ी है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त इकाईयों को चिन्हित कर उनका आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जाए।

रद्दीकरण के पश्चात जो भूमि प्राप्त होगी उसमें ही इन इकाईयों को भूमि के आवंटन पर विचार किया जायेगा। तबतक आवेदन को लंबित रखा जाए।

81. **सर्वश्री किसान इंडस्ट्रीज**, औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखा जाए।
82. **सर्वश्री मुकेश मशाला उद्योग**, औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखा जाए।
83. **सर्वश्री अरण्या पी० ओ० पी० इंडस्ट्रीज** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में प्लास्टर ऑफ पेरिस उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 7500 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में प्लास्टर ऑफ पेरिस उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या A – 6 (P) रकवा 4500 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

84. **सर्वश्री काजल इंडस्ट्रीज** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में राईस, चुड़ा एवं मुरही उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 20000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।
85. **सर्वश्री दुर्गा होसयरी** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में Redymade Garments उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

उपरोक्त कंडिका 84 से 85 तक इकाईयों के परियोजना पर समिति द्वारा गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में पूर्व से उक्त कंडिका से संबंधित परियोजना के कई इकाईयों को भूमि का आवंटन किया गया है। परन्तु अभीतक उन इकाईयों के द्वारा उद्योग स्थापना की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया की बड़ी मात्रा में भूमि बेकार पड़ी है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त इकाईयों को चिन्हित कर उनका आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जाए। रद्दीकरण के पश्चात जो भूमि प्राप्त होगी उसमें ही इन इकाईयों को भूमि के आवंटन पर विचार किया जायेगा। तबतक आवेदन को लंबित रखा जाए।

86. **सर्वश्री श्री गंगा जी इंडस्ट्रीज** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में राईस मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 20000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इकाई के मांग की अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं है जबकि एक भूखण्ड प्लॉट संख्या A – 5 (P) रकवा 25440 वर्गफीट भूमि उपलब्ध है। जो इकाई द्वारा मांगी गई भूमि से अधिक है। इस पर समिति द्वारा इकाई के सहमति मांगी गई। इकाई द्वारा सहमति देने के उपरान्त समिति द्वारा प्लॉट संख्या A – 5 (P) रकवा 25440 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

87. **सर्वश्री आर0 के0 फुड प्रोडक्ट** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में Salted snacks Namkeen Dalmote उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

इकाई के परियोजना पर समिति द्वारा गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में पूर्व से उक्त कंडिका से संबंधित परियोजना के कई इकाइयों को भूमि का आवंटन किया गया है। परन्तु अभी तक उन इकाइयों के द्वारा उद्योग स्थापना की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया की बड़ी मात्रा में भूमि बेकार पड़ी है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त इकाइयों को चिन्हित कर उनका आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जाए। रद्दीकरण के पश्चात जो भूमि प्राप्त होगी उसमें ही इस इकाई को भूमि के आवंटन पर विचार किया जायेगा। तब तक आवेदन को लंबित रखा जाए।

88. **सर्वश्री धीरज हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में Fruit and vegetable processing industries उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 65000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इकाई के प्रतिनिध द्वारा अपनी परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जा रही है वह समर्पित परियोजना से भिन्न है, साथ ही उनके द्वारा SIPB (राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद) का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं है। अतः समिति द्वारा इकाई को निदेश दिया गया कि वे Revised Project Report समर्पित करें एवं SIPB से अनुमोदन करा लें। तब तक आवेदन को लंबित रखा जाए।

89. **सर्वश्री जानकी मिनी राईस मिल** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में राईस मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 20000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

इकाई के परियोजना पर समिति द्वारा गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में पूर्व से उक्त कंडिका से संबंधित परियोजना के कई इकाइयों को भूमि का आवंटन किया गया है। परन्तु अभी तक उन इकाइयों के द्वारा उद्योग स्थापना की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया की बड़ी मात्रा में भूमि बेकार पड़ी है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त इकाइयों को चिन्हित कर उनका आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जाए। रद्दीकरण के पश्चात जो भूमि प्राप्त होगी उसमें ही इस इकाई को भूमि के आवंटन पर विचार किया जायेगा। तब तक आवेदन को लंबित रखा जाए।

90. **सर्वश्री शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में कैटल फीड उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 5 से 6 एकड़ भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को कैटल फीड उद्योग की स्थापना हेतु औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में प्लॉट संख्या A - 12 (P) रकवा 6 एकड़ भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

91. **सर्वश्री राज फुड्स इंडस्ट्रीज**, औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया – अनुपस्थित। आवेदन अगामी पी० सी० सी० की बैठक में रखा जाए।
92. **सर्वश्री अंजली फुड प्रोडक्ट** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में राईस मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 30000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।
93. **सर्वश्री रानी सती पाईप उद्योग** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में Paving Block & Hume Pipe उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 43560 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

उपरोक्त कंडिका 92 से 93 तक इकाईयों के परियोजना पर समिति द्वारा गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया में पूर्व से उक्त कंडिका से संबंधित परियोजना के कई इकाईयों को भूमि का आवंटन किया गया है। परन्तु अभी तक उन इकाईयों के द्वारा उद्योग स्थापना की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र, बिहिया की बड़ी मात्रा में भूमि बेकार पड़ी है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त इकाईयों को चिन्हित कर उनका आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जाए। रद्दीकरण के पश्चात जो भूमि प्राप्त होगी उसमें ही इन इकाईयों को भूमि के आवंटन पर विचार किया जायेगा। तबतक आवेदन को लंबित रखा जाए। समिति में अंत में समीक्षोपरान्त यह भी निर्णय लिया कि एक बड़ा भूखण्ड A - 2 & A - 3 (P) जो लगभग 5 एकड़ है, उससे से छोटे प्लॉट निकालकर अगर संभव हो तो इन लंबित आवेदकों को पुनः अगामी बैठक में इस टुकड़े से भूखण्ड आवंटित करने पर विचार किया जाए।

औद्योगिक क्षेत्र, बिहार शरीफ

94. **सर्वश्री शिव शक्ति इंडस्ट्रीज**, औद्योगिक क्षेत्र, बिहार शरीफ – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी. सी. सी. की बैठक में रखा जाए।
95. **सर्वश्री सोना ट्रैक्टर एण्ड ऑटोमोबाईल** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहार शरीफ में Tractor repairing & Engineering Centre की स्थापना हेतु रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र, बिहार शरीफ में मात्र एक भूखण्ड रिक्त है जिसका रकवा 1350 वर्गफीट है। अतः समिति द्वारा सम्यक रूप से इकाई को प्लॉट संख्या NP - 4 (P) रकवा 1350 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

96. **सर्वश्री एस. कुमार नित वेयर** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहार शरीफ में Wool Garment उद्योग की स्थापना हेतु छावनी जिसका रकवा 2500 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

97. **सर्वश्री पूनम इंडस्ट्रीज** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहार शरीफ में सत्तु उद्योग की स्थापना हेतु एक छावनी जिसका रकवा 2500 वर्गफीट है के आवंटन करने की मांग की गई।
98. **सर्वश्री स्टार निटिंग इंडस्ट्रीज**, औद्योगिक क्षेत्र, बिहार शरीफ में रेडिमेंट गारमेंट उद्योग की स्थापना हेतु एक छावनी जिसका रकवा 2500 वर्गफीट है, के आवंटन करने की मांग की गई।

समिति द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बिहार शरीफ में भूमि की उपलब्धता की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र, बिहार शरीफ में भूमि की उपलब्धता नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में कुछ इकाई जो वर्षों से बंद पड़े हैं जिनमें किसी प्रकार की औद्योगिक कार्य नहीं किया जा रहा सर्वप्रथम उन इकाई का आवंटन रद्द किया जाए। तत्पश्चात उपरोक्त क्रमांक 96, 97, एवं 98 के इकाईयों को भू आवंटन पर विचार किया जाएगा। तबतक क्रमांक 96, 97 एवं 98 के इकाईयों के आवेदन को लंबित रखा जाए।

औद्योगिक क्षेत्र, गया

99. **सर्वश्री गीता इंडस्ट्रीज** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, गया में अगरबत्ती उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 7500 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, गया में अगरबत्ती उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या P – 8 (P) रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

100. **सर्वश्री माँ अन्यपूर्णा फुड प्रोडक्ट** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, गया में Noodle उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 2000 वर्गफीट आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इकाई के मांग के अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र, गया में भूमि उपलब्ध नहीं है। एक भूखण्ड जिसका रकवा 2200 वर्गफीट है के आवंटन हेतु इकाई से सहमति मांगी गई। जिस इकाई के सहमति के उपरान्त समिति द्वारा इकाई को Noodle उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या P – 8 (P) रकवा 2200 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया।

101. **सर्वश्री ज्योति रोटो प्लास्ट इंडस्ट्रीज** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, गया में Roto Moulded Plastic Water Tank उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 7200 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। इकाई द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें प्लॉट संख्या P - 8 (P) जिसका रकवा 7200 वर्गफीट है का आवंटन किया जाए वे उस प्लॉट के लिए ही इच्छुक हैं। परन्तु कमिटी द्वारा उक्त भूखण्ड का आवंटन क्रमांक 99 एवं 100 इकाईयों के बीच कर दिया गया था। आवेदक किसी अन्य भूखण्ड के लिए तैयार नहीं थे। अतः समिति द्वारा आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

102. **सर्वश्री न्यूट्रल पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, गया में Printing of News paper उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 630 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को प्लॉट संख्या उन्हें आवंटित भुखण्ड से सटा हुआ. रकवा 630 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया क्योंकि यह किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जा सकता है।

103. **सर्वश्री कॉनफिडेस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड**, औद्योगिक क्षेत्र, गया – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी0 सी0 सी0 की बैठक में रखा जाए।

104. **सर्वश्री एकोनोमिकल होस्टल फॉर टुरिस्ट**, औद्योगिक क्षेत्र, गया – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी0 सी0 सी0 की बैठक में रखा जाए।

105. **सर्वश्री एन. के. इंटरनेशनल** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, गया में High Sped cutting tolls ad its servicing after sales उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया वर्तमान में इन्हें आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः इनके आवेदन को लंबित रखा जाए।

106. **सर्वश्री रीना ऑप्टिकल** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, गया में Optical glass उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 2000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया वर्तमान में इन्हें आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः इनके आवेदन को लंबित रखा जाए।

107. **सर्वश्री बसंती फुड प्रोडक्ट** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, गया में इलाइची दाना एवं सेवई उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 5000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। उद्यमी की सक्षमता को देखते हुए समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र गया में इलाइची दाना एवं सेवई उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या N S part Near sub - Station रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

108. **सर्वश्री कुमार कटिंग टुल्स** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, गया में High Speed cutting Tools उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 4750 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, गया में High speed cutting tools उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या N S Part, Near Sub - Station रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

109. **सर्वश्री दुर्गा शंकर आयल मिल इंडस्ट्रीज** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, गया में Edible Oil (Mustard) उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 4750 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया वर्तमान में इन्हें आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः इनके आवेदन को लंबित रखा जाए।

110. **सर्वश्री के० के० इंडस्ट्रीज**, औद्योगिक क्षेत्र, गया – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी० सी० सी० की बैठक में रखा जाए।

111. **सर्वश्री शाह इंडस्ट्रीज** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, गया में Plastic Granules उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया वर्तमान में इन्हें आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा बताया गया कि भूखण्ड संख्या P – 22 एवं सड़क के बीच में भूमि खाली है जो गड्ढा है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भूमि पैमाईश करायी जाए। यदि आवेदक के अनुसार भूमि उपलब्ध होती है तो उसे आवेदक को N-22 के रूप में आवंटित किया जाए।

112. **सर्वश्री ताज इंडस्ट्रीज** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, गया में Pavers Block & Tiles उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 4750 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया वर्तमान में इन्हें आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः इनके आवेदन को लंबित रखा जाए।

113. **सर्वश्री श्री विष्णु इंडस्ट्रीज** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र गया में दाल मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 7500 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया वर्तमान में इन्हें आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः इनके आवेदन को लंबित रखा जाए।

समिति द्वारा NS, Near substation में से 1500 वर्गफीट भूमि बियाडा के कार्यालय के लिए Reserve रखने का निर्णय लिया गया।

औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर

114. **सर्वश्री लक्ष्मी राईस मिल** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर में राईस मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 20000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समिति द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर में भूमि की उपलब्धता की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर में कई इकाईयों बर्षों से बंद हैं एवं जिनके द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसी इकाईयों के रद्दीकरण करने की कार्यवाई की जाए। तत्पश्चात प्राप्त खाली भूमि को सर्वश्री लक्ष्मी राईस मिल को आवंटन करने पर विचार किया जायेगा। तब समिति द्वारा आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

115. **सर्वश्री राधे कृष्ण राईस मिल** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर में अरवा राईस मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 24000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समिति द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर में भूमि की उपलब्धता की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर में कई इकाईयों बर्षों से बंद हैं एवं जिनके द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा है। ऐसी इकाईयों के रद्दीकरण करने की कार्यवाई की जाए। तत्पश्चात प्राप्त खाली भूमि को सर्वश्री लक्ष्मी राईस मिल को आवंटन करने पर विचार किया जायेगा। तब समिति द्वारा आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

116. **सर्वश्री माँ सावित्री डेंटल हेल्थ हॉस्पिटल** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर में B. P. L Hospital उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 20000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर में B.P.L Hospital उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या A – 11, B – 21 & B – 22 रकवा 20000 वर्गफीट. आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

117. **सर्वश्री किसान गृह उद्योग** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर में आटा, सत्तु, बेसन एवं मशाला उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर में आटा, सत्तु, बेसन एवं मशाला उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या J – 25 (P) रकवा 2200 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

118. **सर्वश्री माँ गंगा राईस मिल**, औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी0 सी0 सी0 की बैठक में रखा जाए।

119. **सर्वश्री चंदन राईस मिल**, औद्योगिक क्षेत्र, बक्सर – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी0 सी0 सी0 की बैठक में रखा जाए।

औद्योगिक क्षेत्र, नवादा

120. **सर्वश्री माँ विजया फ्लोर मिल** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में Mini Flour Mill उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 2500 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इकाई को पूर्व से जो भूमि आवंटित है, वह प्रर्याप्त है। इन्हें अतिरिक्त भूमि का आवंटन करना उचित नहीं है। अतः समिति द्वारा सम्यक रूप से आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

121. **सर्वश्री कॉपी रजिस्टर उद्योग** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में Exercise Book & Register Book उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में Exercise Book & Register Book उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या B - 8 (P) रकवा 3000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

122. **सर्वश्री कृष्णा मिनी फ्लोर मिल** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में आटा चोकर एवं ब्रान उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई है।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इकाई के प्रतिनिधि को परियोजना के संबंध में जानकारी नहीं है। इनके द्वारा उद्योग स्थापना पर संसय की स्थिति है। अतः समिति द्वारा इकाई के आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया।

123. **सर्वश्री कन्हार्ड जी उद्योग** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में आटा एण्ड स्पाईस उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का मांग किया गया।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में आटा एण्ड स्पाईस उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या B - 9 (P) रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

124. **सर्वश्री इंदुराज फुड्स** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में Flour, Beson & Oil Mill उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 3000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार - विमर्श एवं समीक्षा की गई। समिति द्वारा इकाई के परियोजना पर भूमि का आकलन किया गया। आकलन के क्रम में पाया गया कि इकाई के लिए 5000 वर्गफीट भूमि उपयुक्त है। इस पर इकाई द्वारा अपनी सहमति दी गई। अतः समिति सम्यक रूप से प्लॉट संख्या F - 5 रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

125. **सर्वश्री खुशी इंटरप्राइजेज** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में Shuntering plate and Gate grill उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में Shuntering plate and Gate grill उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या C - 10 (P) रकवा 2500 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

126. **सर्वश्री माँ वाटर ट्रिटमेंट प्लांट** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में Packed drinking water उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 3000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया इस तरह के इकाई द्वारा बड़ी मात्रा में

waste water बहाया जाता है जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में जल निकासी समस्या उत्पन्न होती है। साथ इस तरह की परियोजना वर्तमान समय में Viable नहीं है। अतः समिति द्वारा सम्यक रूप से आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

127. **सर्वश्री कुमार कार केयर सेंटर** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में Repairing & servicing of vehicles उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 3000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इकाई के लिए औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में भूखण्ड संख्या C - 4 (P) जिसका रकवा 4000 वर्गफीट है। यह भूखण्ड इकाई के लिए उपर्युक्त है। जिसपर इकाई द्वारा भी सहमति दी गई। अतः समिति द्वारा इकाई को प्लॉट संख्या C - 4 (P) रकवा 4000 वर्गफीट आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

128. **सर्वश्री कृष्णा बेकरी उद्योग** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में Bread loaves & Rusks उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 20000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में Bread loaves & Rusks उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या F - 6 रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

129. **सर्वश्री गणपति इंडस्ट्रीज** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में Gate Grill & Steel Box उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 10000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

इकाई द्वारा मांगी गई भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण इनके आवेदन को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

130. **सर्वश्री सूर्या हर्बल प्रोडक्ट्स** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में Harbal product उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 3000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में Harbel Product उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या E - 9 रकवा 3000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। आवेदक द्वारा आश्वासन दिया गया कि वे 6 माह के अंदर उत्पादन कार्य प्रारंभ कर देंगे। समिति द्वारा आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देने का निदेश दिया गया।

131. **सर्वश्री झुनकी गारमेंट्स** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में Readymade Garment उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 8000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में वर्तमान में आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध

नहीं है। भूमि उपलब्ध होने के पश्चात इकाई को भूमि के आवंटन पर विचार किया जाएगा। तबतक आवेदन को लंबित रखा जाए।

132. **सर्वश्री विजेंद्र मिनी फ्लोर मिल** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में Flour Mill उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि फ्लोर मिल हेतु औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में पूर्व से ही Flour Mill हेतु कई इकाई को भूमि का आवंटन किया गया है। ऐसी परिस्थिति में एक ही तरह के इकाई को और भूमि का आवंटन किया जाना उचित नहीं है। अतः समिति द्वारा सम्यक् रूप से आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

133. **सर्वश्री सिद्धि विनायक इंडस्ट्रीज** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में PVC Conduit Pipe उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 8000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में वर्तमान में आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि उपलब्ध होने के पश्चात इकाई को भूमि के आवंटन पर विचार किया जाएगा। तबतक आवेदन को लंबित रखा जाए।

134. **सर्वश्री गुलशन इंडस्ट्रीज** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में Rice Mill (Arwa) उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 8000 वर्गफीट आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। औद्योगिक क्षेत्र, नवादा में वर्तमान में आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि उपलब्ध होने के पश्चात इकाई को भूमि के आवंटन पर विचार किया जाएगा। तबतक आवेदन को लंबित रखा जाए।

औद्योगिक क्षेत्र, बारुण

135. **सर्वश्री हनुमान जी मोर्डन मिनी राईस मिल** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बारुण में राईस मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 8000 वर्गफीट (चार B type shed) आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, बारुण में राईस मिल उद्योग की स्थापना हेतु चार B type Shed (B – 5 to B – 8) रकवा 8000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

136. **सर्वश्री सोन मिनिरलस** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बारुण में Packaged Drinking water उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 4000 वर्गफीट भूमि दो B type छावनी का आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति में सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया इस तरह के इकाई द्वारा बड़ी मात्रा में waste water बहाया जाता है जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में जल निकासी समस्या उत्पन्न

होती है। साथ इस तरह की परियोजना वर्तमान समय में Viable नहीं है। अतः समिति द्वारा सम्यक् रूप से आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

137. **सर्वश्री स्वास्तीक राईस मिल** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बारुण में राईस मिल उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 43560 वर्गफीट भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, बारुण में राईस मिल उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉ संख्या P – 6, 7, 8 & P – 23 रकवा 32400 वर्गफीट आवंटन करने निर्णय लिया गया। समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि इकाई को SIPB का अनुमोदन प्राप्त नहीं है। आवंटन पत्र SIPB के अनुमोदन के उपरान्त ही निर्गत किया जायेगा।

138. **सर्वश्री माँ गंगा फाउंड्री**, औद्योगिक क्षेत्र, बारुण – अनुपस्थित। आवेदन को अगामी पी0 सी0 सी0 की बैठक में रखा जाए।

औद्योगिक क्षेत्र, विक्रमगंज

139. **सर्वश्री जय शंकर टिम्बर वर्क्स** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, विक्रमगंज में Saw Mill & wooden Furinture उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 2000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, बारुण में उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉ संख्या D – 5 (P) रकवा 1680 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

140. **सर्वश्री रोहित सरफैकेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड** द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, बारुण में Detergent cake & Powder उद्योग की स्थापना हेतु रकवा 435000 आवंटन करने की मांग की गई।

प्राप्त परियोजना पर समिति द्वारा सम्यक् रूप से विचार – विमर्श एवं समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र, बारुण में भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, डेहरी 5 एकड़ भूमि के आवंटन हेतु प्रस्ताव दिया गया। इस इकाई के प्रतिनिधि द्वारा उक्त भूमि यह कहकर लेने से इंकार किया कि उनके परियोजना के लिए 5 एकड़ भूमि उपर्युक्त नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र, विक्रमगंज में इकाई के मांग के अनुरूप भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

अनुपूरक कार्यावली

पी0सी0सी0 की बैठक दिनांक 30.04.12 में निर्णय लिया गया है कि आवंटन के उपरांत भौतिक स्वामित्व देते समय कभी-कभी भूखण्ड में आवंटन से अधिक भूमि पायी जाती है। वह भूमि किसी दूसरे इकाई को आवंटित नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में पी0सी0सी0 द्वारा प्रबंध निदेशक को प्राधिकृत किया गया है कि वे उक्त भूमि का आवंटन उस इकाई को कर सकते हैं। पी0सी0सी0 के उक्त निर्णय एवं इकाई से प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रबंध निदेशक, बियाडा द्वारा निम्नलिखित इकाईयों को भूमि का आवंटन किया गया:—

1. **सर्वश्री एल.भी. इन्टरप्राइजेज लिमिटेड** को ई.पी.आई.पी. हाजीपुर में उनके आवेदन दिनांक 24.04.12 के आलोक में दिनांक 16.05.12 को रकवा 2280 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि का आवंटन किया गया है।
2. **सर्वश्री एक्सेल पेपर पैकेजिंग प्रा० लि०** को औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर में उनके आवेदन दिनांक 22.09.11 के आवेदन के आलोक में दिनांक 11.06.12 को रकवा 5100 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि का आवंटन किया गया।
3. **सर्वश्री श्री सीमेंट लिमिटेड** को विकास केन्द्र औरंगाबाद में उनके आवेदन दिनांक 28.05.12 के आलोक में दिनांक 12.06.12 को रकवा 4.21 एकड़ अतिरिक्त भूमि का आवंटन किया गया है। इस भूखण्ड पर पूर्व में कल्याण विभाग का आवासीय विद्यालय था इसलिए इसे पिछली पी. सी. सी. में आवंटित नहीं किया गया था। इस विद्यालय के लिए दुसरा भूखण्ड जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करा देने एवं श्री सीमेंट द्वारा उपसर स्वीकृत डिजाईन के अनुरूप विद्यालय का निर्माण नई जमीन पर बनाने की Undertaking लेने के बाद यह जमीन पिछले पी. सी. सी. के निर्णय के अनुरूप आवंटित की गई।
4. **सर्वश्री आर० एम० इन्डस्ट्रीज** को विकास केन्द्र गिद्धा में उनके आवेदन दिनांक 24.04.12 के आलोक में दिनांक 18.05.12 रकवा 5000 वर्गफीट अतिरिक्त भूमि का आवंटन किया गया है।
उपरोक्त कंडिका 1 से 4 तक के इकाई के संबंध में पी० सी० सी० द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
5. बियाडा अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र/ विकास केन्द्रों में उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों के आलोक में निर्धारित नियमावली के तहत उनका हस्तानांतरण किया गया है। दिनांक 26.08.2012 से 03.07.2012 तक के इकाईयों हस्तानांतरण पर पी. सी. सी. द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
6. बियाडा अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र/ विकास केन्द्रों में अवस्थित इकाईयों से प्राप्त आवेदनों के आलोक में निर्धारित नियमावली के तहत उनका उत्पाद परिवर्तन किया गया है। दिनांक 26.08.2012 से 03.07.2012 तक किए गए इकाईयों के परिवर्तित परियोजनाओं पर पी० सी० सी० द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

ह०/—

भोगेन्द्र लाल
कार्यकारी निदेशक, पटना

ह०/—

दीपक कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक, बियाडा